

स्मरण पत्र।
तिथिबद्ध/अतिआवश्यक।

प्रेषक

निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य/
प्राचार्य (सीडीसी)।

यादी क्रमांक: 19/50-2019 प्रशा0 (1)
दिनांक, पंचकूला : 11-6-2019

विषय :-

**Grant of reservation to persons with disabilities in jobs under
Govt./Govt. Undertakings, Local Bodies and Universities etc.**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 19/50-2019 प्रशा0 (1)
दिनांक 22.4.2019 के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में संदर्भित पत्र के अन्तर्गत आपसे मांगी गई सूचना अभी तक
निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपको पुनः लिखा जाता है कि दिनांक 01.01.1996 से
दिनांक 31.3.2019 तक कार्यरत/सेवानिवृत्त ऐसे सहायक/ऐसोसिएट प्रोफेसर/प्राचार्य जिन
द्वारा विकलांगता भत्ता क्लेम किया गया है उनसे संबंधित सूचना निम्नलिखित प्रोफार्मा में
विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोप्रति सहित निदेशालय को ई-मेल hechryadm@gmail.com
के माध्यम से दो दिन के अन्दर-2 भेजना सुनिश्चित करें :-

क्रम	अधिकारी का नाम व पिता का नाम	विषय	जन्म तिथि	सरकारी सेवा में आने की तिथि।	यदि सेवानिवृत्ति हो चुके है तो सेवानिवृत्ति तिथि।	यदि प्राचार्य पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हुई है तो पदोन्नति की तिथि।	यदि किसी कारणवश कोई अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है/ मृत्यु हो चुकी है/ त्यागपत्र दिया गया है तो उसकी तिथि तथा कारण।	विकलांगता की श्रेणी	विकलांगता का प्रतिशत	वरिष्ठता क्रमांक 01.9.97 की सूची अनुसार	वरिष्ठता क्रमांक 01.1.04 की सूची अनुसार	वरिष्ठता क्रमांक 1.12.09 की सूची अनुसार

अधीक्षक प्रशासन

कृते: निदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।